न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या : 601/2016

रज्जु दिंनाक : 16/11/2016

निर्णय दिंनाक : 12/5/2017

1– रामेश्वर | पुत्रान् रामजीवण जाति ब्राहम्ण निवासी नोहरा मुकन्दपुरा तहसील फागी

2– जगदीश | जिला जयपुर राजस्थान ।

----वादीगण

बनाम

1– बद्री

2– बाबू | पुत्रान् रामजीवण | जातियान् ब्राहम्ण निवासी नोहरा मुकन्दपुरा तहसील

3– रामप्रसाद | फागी जिला जयपुर राजस्थान ।

4– रामजीवण पुत्र स्व0 जमना

5– जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान ।

-----प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णयः–

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 146 के खसरा नम्बर 261/2, 262, 263/2, 273 कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खतौनी संख्या 147 के खसरा नम्बर 253/1, 254 लगायत 260,

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

261/1, 263/1, 264 लगायत 269, 287 लगायत 291 कुल किता 21 कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, खतौनी संख्या 148 के खसरा नम्बर 253/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें खतौनी संख्या 146 में वादीगण का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 4/6 हिस्सा व खतौनी संख्या 147 में प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज हिस्सा 11/12 में से वादीगण का 2/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 4/6 हिस्सा एवं खतौनी संख्या 148 में प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज हिस्सा 14/45 में से वादीगण का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 4/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है व सरकारी लगान जमा कराते आ रहे है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है व स्व0 जमना के वंश के है व स्व0 जमना कें देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 4 रामजीवण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुआ । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता है एवं स्व0 जमना दादा लगता था एवं उक्त पैत्रिक सम्पत्ति में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हक व हिस्सा स्व0 जमना की खातेदारी में है एवं स्व0 जमना के देहान्त के बाद वादीगण के पिता ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाकर कुछ आराजी का बेचान कर दिया । प्रतिवादी संख्या 4 रामजीवण वृद्ध व्यक्ति होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बहकावे में है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आराजी का बेचान कराने में आमादा है एवं विवादग्रस्त आराजी वादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है एवं दादा की सम्पत्ति में पोतो का जन्मजात हिस्सा बनता है । वादीगण गांव में भी पुख्ता मकानात व पैत्रिक सम्पत्ति का बॅटवारा अपने हिस्से अनुसार कर लिया है एवं आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है दादा की सम्पत्ति में पोतो का कानूनन हक व हिस्सा होने से अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है । दिनांक 20/10/2016 को वादीगण अपने हिस्से की आराजी में बोई हुयी फसल की देख–रेख कर रहे थे तो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

दो अजनबी व्यक्तियो के साथ आराजी पर आये एवं बेचान की बातचीत करने लगे । वादीगण के मना करने पर प्रतिवादी संख्या 4 ने ऐलानिया धमकी दी कि आराजी मेरे नाम है इसे बेचान करूगा व तुम्हे आराजी से बेदखल कर दूँगा इसलिये वादीगण अपने हक–हकूको व हिस्से की रक्षार्थ हेतू प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ । वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे न अन्य से करावे एवं बेदखल व बेचान नहीं करे एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे ।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई एवं प्रतिवादीगण दिंनाक 9/2/2017 को मय अधिवक्ता श्री सत्यदेव सिंह नरूका उपस्थित हुये एवं वादीगण का वाद स्वीकार करते हुये राजीनामा प्रस्तुत किया एवं वादीगण का वाद हिस्से अनुसार डिक्री किया जावे एवं राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामील पत्रावली किया गया ।

अधिवक्ता वादीगण ने फर्द दस्तावेज सूची में जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 एवं स्व0 जमना के नाम की लगान की रसीदाद व गिरदावरी प्रस्तुत की । उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपने दावे के तथ्यो को दोहराते हुये बताया की उक्त आराजी वादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है जो लगान की रसीदाद व गिरदावरी स्लिप से सिद्ध होती है एवं वादीगण के वाद को भी प्रतिवादीगण ने राजीनामे अनुसार स्वीकार किया है एवं हिस्से अनुसार नाम लगाने में कोई आपत्ति नहीं की है एवं वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे । अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की है एवं डिक्री करने की सहमति दी ।

उभय पक्ष की बहस का मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया वादीगण का वाद बरूवे राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है ।

अतः वादीगण का वाद बरूवे राजीनामा डिक्री किया जाता है कि आराजी खतौनी संख्या 146 के खसरा नम्बर 261/2, 262, 263/2, 273 कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खतौनी संख्या 147 के खसरा नम्बर 253/1, 254 लगायत 260, 261/1, 263/1, 264 लगायत 269, 287 लगायत 291 कुल किता 21 कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, खतौनी संख्या 148 के खसरा नम्बर 253/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें खतौनी संख्या 146 में वादीगण का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 4/6 हिस्सा व खतौनी संख्या 147 में प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज हिस्सा 11/12 में से वादीगण का 2/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 4/6 हिस्सा एवं खतौनी संख्या 148 में प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज हिस्सा 14/45 में से वादीगण का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 4/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 का नोट समस्त पक्षकारान् की भूमि पर यथावत रहेगा एवं निर्णय मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिंनाक 12/5/2017 को कैम्प कोर्ट डिडावता में टंकन कराया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी, जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– **सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)**

उनवान

रामेश्वर पुत्र रामजीवण जाति ब्राहम्ण निवासी नोहरा मुकन्दपुरा फागी जिला जयपुर वगै0।

बनाम

बद्री पुत्र रामजीवण जाति ब्राहम्ण निवासी नोहरा मुकन्दपुरा तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 601/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 146 के ख0न0 261/2, 262, 263/2, 273 कुल किता 04 कुल रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, खतौनी संख्या 147 के ख0न0 253/1, 254 लगायत 260, 261/1, 263/1, 264 लगायत 269, 287 लगायत 291 कुल किता 21 कुल रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा, खतौनी संख्या 148 के ख0न0 253/2 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में खतौनी संख्या 146 में वादीगण का 2/6 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 4/6 हिस्सा, खतौनी संख्या 147 में प्रतिवादी संख्या 4 का दर्ज हिस्सा 11/12 में से वादीगण का 2/6 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 4/6 हिस्सा, खतौनी संख्या 148 में प्रतिवादी संख्या 4 का दर्ज हिस्सा 14/45 में से वादीगण का 2/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 4/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 का नोट समस्त प्रक्षकारान की भूमि पर यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/05/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)